राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3187/2025

अजय बारेठ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा), जिला अजमेर (राज.)।
4. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
5. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक वितरण केन्द्र, अजमेर (राज.)।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्य कार्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अजमेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.07.2025
आदेश की दिनांक : 01.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप माथुर, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक वितरण केन्द्र, अजमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का आदेश दिनांक 21.04.2023 के द्वारा चयन हुआ तथा दिनांक 26.04.2023 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 25.03.2025 को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु सूची जारी की गई तथा

वर्ष 2024–25 के विरूद्ध डीपीसी जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 77 पर दर्शाया गया और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.03.2025 एवं 26.03.2025 के द्वारा पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सेवायें देने के बजाय प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2025 के द्वारा उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दरीबा, भीलवाडा पदस्थापित किया गया। उनका तर्क है कि आदेश दिनांक 25.06.2025 जो संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के कार्यालय अजमेर को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त नहीं करने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत् पत्र लिखा गया और उक्त पत्र की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं करने के संबंध में सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल को अवगत कराया गया, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 19.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त न करते हुये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, अजमेर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दरीबा, भीलवाडा पदस्थापित कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.05.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक वितरण केन्द्र, अजमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का आदेश दिनांक 21.04.2023 के द्वारा चयन हुआ तथा दिनांक 26.04.2023 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 25.03.2025 को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु सूची जारी की गई तथा वर्ष 2024–25 के विरूद्ध डीपीसी जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 77 पर दर्शाया गया और अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर आदेश दिनांक 23.03.2025 एवं 26.03.2025 के द्वारा पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को पदोन्नति उपरांत प्रतिनियुक्ति

पर पदस्थापन हेतु उसके मूल विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं किये जाने तथा पदोन्नति उपरांत वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दरीबा, भीलवाडा पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति आवेदन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर चयन हुआ और अनुलग्नक–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के मूल विभाग द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर रिक्ति वर्ष 2024–25 के विरूद्ध अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर सहवरियता एवं सहयोगता के आधार पर चयन किया गया और तत्पश्चात् अपीलार्थी को पदोन्नति उपरांत उसके मूल विभाग द्वारा उसे आलोच्य आदेश दिनांक 19.05.2025 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दरीबा, भीलवाडा पदस्थापित किया गया और इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से एवं नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष